कार्यालय पुलिस आयुक्त दिल्ली, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली

संख्या 432 / जनसम्पर्क भााखा,पुलिस मुख्यालय, दिल्ली, दिनांक 6 / 08 / 2010

सेवा में,

सम्पादक
दैनिक पंजाब केसरी
वजीरपुर डिपो, बाहरी रिंग रोड, दिल्ली

विशयः— 'जब्त हो जाएंगे सारे हथियार' भीर्शक के अन्तर्गत छपी खबर का खंडन।

महोदय,

कृपया, आपके समाचार पत्र में दिनॉक 5 अगस्त, 2010 को उपरोक्त भीर्शक के अन्तर्गत छपी खबर का अवलोकन करें। आपके संवाददाता श्री अि वनी भारद्वाज के हवाले से प्रकाि ात खबर के तथ्य बेबुनियाद व आधारहीन है।

खबर में कहा गया है कि 'गृह मंत्रालय के दि ाा–निर्दे ा पर दिल्ली पुलिस द्वारा राश्ट्रमंडल खेलों के दौरान राजधानी के लाइसेंस धारकों के हथियार जमा कराने की योजना पर विचार किया जा रहा है' जो पूर्णतया गलत है।

इस संबंध में स्पश्ट किया जाता है कि दिल्ली पुलिस की आगामी राश्ट्रमंडल खेलों को मद्देनजर रखते हुए लाइसेंसी हथियारों को जमा करने जैसी कोई योजना नही है। ऐसी बेबुनियाद और भ्रमित खबर से हजारों लाइसेंस धारकों के मन में अनाव यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।

आपके संवाददाता ने बिना किसी अधिकृत पुलिस अधिकारी से तथ्यों की पुष्टि किये खबर प्रकाशित की है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए इसे समुचित स्थान पर प्रकाि ात कराने की व्यवस्था करें, ताकि आपके पाठकगण सही जानकारी से अवगत हो सकें।

धन्यवाद!

(राजन भगत)
जनसम्पर्क अधिकारी
दिल्ली पुलिस,दिल्ली